न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

उनवान रामविलास बनाम संदीप कुमार

मुकदमा नं. T.I 19/2022

20.6.24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी संतोष नं. का- का कथन सुना गया, लेकिन न्यायालय समय पर हाजिर नहीं करा पाने से कारण पेशी की तारीख बढ़ाकर इसलिए इस आ-पत्र-संबंधित धारा 212 को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः आ-पत्र संबंधित धारा 212 RTA Act प्रार्थी कारण पेशी व कारण हाजरी की तारीख निराकरण पत्रावली में हाल प्रचार होकर नेशा की जावे। सहायक कलक्टर(मु.)सीकर निर्णय कारण लिखा 20.6.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर(मु.)सीकर	